न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–1, सिद्धार्थनगर।

उपस्थित– मोहम्मद रफी(एच०जे०एस०)

UPSD010008512026

Bail Application/338/2026

क्रांती देवी पत्नी स्वामीनाथ निवासी सिनेमा रोड, थाना शोहरतगढ़, जनपद–सिद्धार्थनगर।

---प्रार्थिनी/अभियुक्ता

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश ---विपक्षी/आपत्तिकर्ता

मु०अ०सं०---171/2021
धारा–138 (1) B भा०वि०अधि०
थाना– ए.पी.टी.
जनपद– सिद्धार्थनगर।

दिनांक–10.03.2026

1. यह जमानत प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण में क्रांती देवी की ओर से प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्ता न्यायिक अभिरक्षा में है।

2. प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुये कथन किया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता बिल्कुल निर्दोष है महज रंजिशन फसाया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता को विद्युत विभाग के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले को विद्युत कनेक्शन लगाकर मीटर लगा दिया गया था तथा बताया गया कि यह कनेक्शन गरीबो के लिए निःशुल्क है तथा कनेक्शन देते समय राशन कार्य की छायाप्रति लिया गया था। वह किसी प्रकार का विद्युत चोरी नहीं किया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता के मकान में विद्युत कनेक्शन व मीटर लगा हुआ था जिसको विद्युत विभाग द्वारा काट दिया गया है। उसके घर में वर्तमान में कोई कनेक्शन नहीं लगा है। वह गरीब महिला है उसने एक मुश्त विद्युत बिल का

Digitally signed by MOHAMMAD RAFI
Date: 2026.03.10 16:29:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

भुगतान करने असमर्थ है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इस प्रार्थना पत्र के अलावा उसका कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो किसी न्यायालय में विचाराधीन है और न ही निस्तारित किया गया है। वह परिवारदार व्यक्ति है फरार होने की कोई संभावना नहीं है तथा वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगी। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता को जमानत मुचलका पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

3. विद्वान विशेष शासकीय अधिवक्ता(विद्युत अधिनियम) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया गया है।

4. उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर बकाया विच्छेदन के बावजूद विद्युत बिल का भुगतान किये बिना एल०टी० लाइन से केबिल जोड़कर अवैध रूप से विद्युत का उपभोग करने का अभियोग है। अभियुक्ता पर आरोपित अपराध अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास से दण्डनीय है। प्रकरण में आरोप–पत्र आ चुका है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थिनी/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

6. अभियुक्ता **क्रांती देवी** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता द्वारा मु०–25000/–(पच्चीस हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

दिनांक–10.03.2026

(मोहम्मद रफी)

अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०–1,

सिद्धार्थनगर।

J.O. CODE – UP 6336